भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 788

जिसका उत्तर दिनांक 07.02.2024 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन

788. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परमाणु ऊर्जा के साथ-साथ ऊर्जा के अन्य स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु ऊर्जा के इन स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) व (ख) जी, हां। देश के कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

i. शीघ्रगामी (फ्लीट) मोड में दस (10) स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

ii. नाभिकीय क्षति हेतु असैन्य दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) का सृजन।

iii. नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यमों को सक्षम करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन।

iv. ईंधन की आपूर्ति सहित नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के लिए विदेशों के साथ करार करना।

(ग) वर्तमान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 7480 मेगावाट को वर्ष 2031-32 के दौरान 22800 मेगावाट तक बढ़ाया जाना निर्धारित है।

* * * * *